भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 386

मंगलवार, 04 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्टार्टअप इंडिया पहल से लाभ

386. श्री पी. सी. मोहनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत से अब तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार, विशेषकर कर्नाटक में कुल कितने स्टार्टअप लाभान्वित हुए हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और कर्नाटक में स्टार्टअप इंडिया योजना के अंतर्गत स्टार्टअप्स के लिए लक्षित सहायता प्रदान करने के लिए उपाय शुरू किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेषकर बेंगलुरु जैसे शहरी केन्द्रों में रोजगार सृजन में स्टार्टअप इंडिया पहल का किस हद तक योगदान मिला है और किन-किन क्षेत्रों में इसका सर्वाधिक प्रभाव देखा गया है; और

(घ) क्या सरकार विशेषकर उभरते हुए क्षेत्रों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा,स्वास्थ्य-प्रौद्योगिकी, कृषि-प्रौद्योगिकी और हरित प्रौद्योगिकियों में स्टार्टअप के लिए सहायता बढ़ाने हेतु नई पहलों अथवा नीतिगत परिवर्तनों पर विचार कर रही है और यदि हां, तो इन उपायों की विशेषताएं क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क): सरकार ने नवप्रयोग, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सुदृढ़ ईकोसिस्टम का निर्माण करने और देश के स्टार्टअप ईकोसिस्टम में निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की।

दिनांक 19 फरवरी, 2019 के सा.का.नि. अधिसूचना संख्या 127 (अ) के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत निकायों को 'स्टार्टअप्स' के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। 31 दिसंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, डीपीआईआईटी द्वारा 1,57,706 निकायों को स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। कर्नाटक राज्य सहित डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्रदान किए गए निकायों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख): स्टार्टअप इंडिया कोई स्कीम नहीं, बल्कि एक पहल है। सरकार, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत विशिष्ट पहलों/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है ताकि इससे कनार्टक राज्य सहित देशभर में महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा सके। ऐसी पहलों का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग): वर्ष 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत से, जिन निकायों को स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, उन निकायों ने 31 दिसंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, 17.2 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं। जिन उद्योगों में सबसे अधिक प्रभाव देखा गया है, उनमें सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल और आयुर्विज्ञान, व्यावसायिक और

वाणिज्यिक सेवाएं, निर्माण और शिक्षा शामिल हैं, जिनमें प्रत्यक्ष रोजगारों की संख्या 6.4 लाख से अधिक हैं।

विशेष रूप से बेंगलुरु जिले (शहरी) में, जिन निकायों को स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, उन निकायों ने 31 दिसंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, 1.6 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं। जिन उद्योगों में सबसे अधिक प्रभाव देखा गया है, उनमें सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल और आयुर्विज्ञान, शिक्षा, मानव संसाधन और वित्त प्रौद्योगिकी शामिल हैं, जिनमें मान्यताप्राप्त स्टार्टअप द्वारा सृजित प्रत्यक्ष रोजगारों की संख्या 65,000 से अधिक है।

(घ) : स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार सभी क्षेत्रों के स्टार्टअप ईकोसिस्टम के विकास और वृद्धि के लिए निरंतर विभिन्न प्रयास करती है। प्रमुख स्कीमें, नामतः स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस), स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करती हैं। सरकार, आवधिक कार्यों और कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित करती है, जिसमें राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग, राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड और नवप्रयोग सप्ताह शामिल हैं, जो स्टार्टअप ईकोसिस्टम के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार, स्टार्टअप महाकुंभ के रूप में ईकोसिस्टम वाली पहलों को भी प्रोत्साहित और सहायता प्रदान करती है, जो हितधारकों को आपस में नेटवर्क और सहयोग करने के ऊर्जावान मंच के रूप में कार्य करता है। बाजार पहुंच में सुधार लाने और सार्वजनिक खरीद हेतु सक्षम बनाने संबंधी पहलें, स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय में वृद्धि और स्केलिंग-अप करने में सहायता प्रदान करती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे स्टार्टअप इंडिया हब पोर्टल और भास्कर, संसाधनों तक पहुंच को आसान और स्टार्टअप ईकोसिस्टम सहयोग को सक्षम बनाते हैं। इन उपायों को विनियामक सुधार और ईकोसिस्टम विकास के अन्य आयोजनों और कार्यक्रमों से सहयोग मिलता है।

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार द्वारा किए गए सतत प्रयासों से, विविध क्षेत्रों में, 31 दिसंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, डीपीआईआईटी से मान्यताप्राप्त निकायों की संख्या बढ़ते हुए 1,57,706 हो गई है। विशेष रूप से उभरते क्षेत्रों, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, कृषि-प्रौद्योगिकी और हरित प्रौद्योगिकी के लिए, डीपीआईआईटी ने 31 दिसंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, 17,000 से अधिक निकायों को स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्रदान की है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 04.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 386 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

31 दिसंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, कर्नाटक राज्य सहित डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप्स के रूप में मान्यताप्राप्त निकायों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या निम्नानुसार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ऐसे निकायों की संख्या, जिन्हें डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्रदान की गई है
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	71
आंध्र प्रदेश	2553
अरुणाचल प्रदेश	47
असम	1487
बिहार	3190
चंडीगढ़	532
छत्तीसगढ़	1736
दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	64
दिल्ली	16082
गोवा	587
गुजरात	13053
हरियाणा	8222
हिमाचल प्रदेश	563
जम्मू और कश्मीर	988
झारखंड	1477
कर्नाटक	16624
केरल	6361
लद्दाख	18
लक्षद्वीप	3
मध्य प्रदेश	5093
महाराष्ट्र	27925
मणिपुर	179
मेघालय	62
मिजोरम	41
नागालैंड	85
ओडिशा	2769
पुदुच्चेरी	161
पंजाब	1741
राजस्थान	5567
सिक्किम	12
तमिलनाडु	10577
तेलंगाना	8243
त्रिपुरा	141
उत्तर प्रदेश	15019
उत्तराखंड	1268
पश्चिम बंगाल	5165
कुल	**157,706**

****

अनुबंध-II

दिनांक 04.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 386 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

कनार्टक राज्य सहित देशभर में महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए क्रियान्वित किए गए कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

1. महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स में इक्विटी और ऋण दोनों के अंतर्वाह को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संचालित स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष स्कीम में निधि का 10 प्रतिशत महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के लिए आरक्षित है।

2. महिलाओं के नेतृत्व वाले वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) उच्च स्तर के प्रबंधन शुल्क (0.1 प्रतिशत प्रति वर्ष) के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं। यही लाभ उन एआईएफ को भी दिया जाता है, जो महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स पर केंद्रित हैं।

3. स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) के तहत, गारंटी कवर का लाभ उठाने के लिए, सदस्य संस्था को संवितरित/बकाया राशि का प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत वार्षिक गारंटी शुल्क (एजीएफ) का भुगतान करना होता है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों की इकाइयों के साथ-साथ महिला उद्यमियों वाली इकाइयों के लिए, सदस्य संस्था, संवितरित/बकाया राशि का प्रतिवर्ष 1.5 प्रतिशत मानक दर का भुगतान करती है।

4. महिला क्षमता विकास कार्यक्रम (विंग) महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के लिए एक विशिष्ट क्षमता विकास कार्यक्रम है, जो महत्वाकांक्षी और स्थापित दोनों महिला उद्यमशीलता को उनकी स्टार्टअप यात्रा को चिह्नित करने और सहायता करने के लिए है। प्रौद्योगिकी, निर्माण, उत्पाद, मशीन, खाद्य, कृषि, शिक्षा आदि सहित विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए कार्यशालाएं चलाई जाती हैं। ये कार्यशालाएं, उभरती महिला उद्यमियों और अन्य हितधारकों के लिए महिला उद्यमियों के समक्ष आने वाली प्रमुख समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती हैं। 'विंग' कार्यशालाओं ने समस्याओं का समाधान पाने के लिए सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों और अनुभवों को साझा करने तथा भारतीय संदर्भ में अपनाए गए व्यावसायिक मॉडल से सीखने के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है।

5. महिला उद्यमियों के लिए वर्चुअल इन्क्यूबेशन कार्यक्रम, प्रो-बोनो एक्सीलेरेशन सहायता के साथ महिला नेतृत्व वाले प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया था।

6. स्टार्टअप इंडिया हब: स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर महिला उद्यमियों को समर्पित एक वेबपेज डिजाइन किया गया है। इस पेज में महिला उद्यमियों के लिए केंद्र और राज्य, दोनों सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न नीतिगत उपाय शामिल हैं।

7. महिलाओं के लिए एसेंड स्टार्टअप कार्यशाला श्रृंखला और स्टार्टअप्स कार्यशालाएं: सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्यमियों, उभरते उद्यमियों और छात्रों के लिए स्टार्टअप कार्यशालाओं की श्रृंखला - एसेंड (एक्सीलरेटिंग स्टार्टअप कैलिबर एंड एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव) का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त, ये कार्यशालाएं पूर्वोत्तर राज्यों में महिला उद्यमियों पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है। इन कार्यशालाओं में सरकारी अधिकारियों, स्टार्टअप्स, उभरते हुए उद्यमियों, निवेशकों, शैक्षणिक संस्थानों आदि जैसे ईकोसिस्टम हितधारकों की भागीदारी देखी गई है।

8. सुपरस्त्री पॉडकास्ट: भारत के सभी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से, भारतीय स्टार्टअप ईकोसिस्टम में महिलाओं पर सुपरस्त्री वीडियो पॉडकास्ट सीरिज शुरू की गई है। ये पॉडकास्ट महिलाओं में नवप्रयोग से संबंधित जागरूकता बढ़ाते हैं और देश में महिला उद्यमिता को और सुदृढ़ करते हैं।

9. अपने विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों और सरकार द्वारा क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से तथा प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के द्वारा, सरकार मौजूदा स्कीमों के बारे में भी जागरूकता उत्पन्न करती है। ये कार्यक्रम महिला उद्यमियों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को सहायता पहुंचाते हैं।

10. महिलाओं के लिए स्टार्टअप्स: महत्वाकांक्षी और मौजूदा महिला उद्यमियों की क्षमता निर्माण के लिए महिला उद्यमियों हेतु सभी राज्यों में राज्य स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की गई। इन कार्यशालाओं में सरकारी स्कीमों के बारे में जागरूकता, मॉक पिचिंग और वित्त-संबंधी प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया।

11. राष्ट्रपति के साथ महिला उद्यमियों की वार्ता: "द प्रेसिडेंट विद द पीपल" पहल के अंतर्गत, भारत की माननीय राष्ट्रपति के साथ 25 महिला उद्यमियों को वार्ता करने का अवसर मिला। इस वार्ता में नवप्रयोग को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और भारत के बढ़ते स्टार्टअप ईकोसिस्टम में योगदान देने में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। माननीय राष्ट्रपति ने आइडिया को उद्यम में बदलने के उनके प्रयासों की सराहना की और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने में उनकी सफलता के महत्व पर जोर दिया।

12. राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग मुख्य रूप से सभी भारतीय राज्यों में स्टार्टअप ईकोसिस्टम की सहायता करने वाली उत्कृष्ट कार्य-पद्धतियों की पहचान करने की एक प्रक्रिया है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्रत्येक राज्य में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नीतियों को तैयार करने और कार्यान्वयन तथा विशेष प्रोत्साहन का आकलन करने के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल किए गए हैं। विशेष कार्रवाई बिंदु पर सक्रिय भागीदारी देखी गई है और उसमें भाग लेने वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए उपायों की रिपोर्टिंग की गई है।

13. देश में नवप्रयोग, समावेशिता और विविधता तथा उद्यमशीलता की व्यापकता, गुणवत्ता की पहचान करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार (एनएसए) की शुरुआत की है। एनएसए, 20 क्षेत्रों और विशेष श्रेणियों में स्टार्टअप्स को मान्यता प्रदान करता है और उन्हें बढ़ावा देता है। एनएसए के सभी चार संस्करणों (2020, 2021, 2022 और 2023) में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के लिए विशेष श्रेणी और पुरस्कार को शामिल किया गया है।

14. पिच फॉरवर्ड, विशेष रूप से गैर-महानगरों की महिला उद्यमियों को प्रमुख निवेशकों से जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करने की एक पहल है। यह पहल स्टार्टअप्स को विभिन्न चरणों और क्षेत्रों में सीधे उद्यम पूंजी निधि में निवेश करने का अवसर प्रदान करती है।

*****